

**दीर्घकालिक जमाराशि जारी करने के संबंध में
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए दिशानिर्देश**

1. जारी करने की शर्तें

शहरी सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के आधार पर संबंधित निबंधक /केंद्रीय निबंधक, सहकारी सासायटियां की पूर्वानुमति से दीर्घकालिक जमाराशि (एलटीडी) जारी कर सकते हैं। एलटीडी संबंधित शहरी सहकारी बैंक के सदस्यों तथा गैर-सदस्यों सहित उसके परिचालन क्षेत्र के बाहर के सदस्यों को जारी किया जा सकता है। एलटीडी के माध्यम से जुटाई गई राशि जो निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करती है, निम्न टियर II पूंजी मानी जाने की पात्र होगी।

2.1 परिपक्वता :

एलटीडी की परिपक्वता अवधि कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए।

2.2 सीमा :

एलटीडी की बकाया राशि जो टियर II के रूप में परिगणित किए जाने की पात्र है, टियर I पूंजी के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी। उपर्युक्त सीमा साख (गुडविल) तथा अन्य अमूर्त आस्तियों के घटाए जाने के बाद लेकिन सहयोगी संस्थाओं, यदि कोई, में इक्विटी निवेश घटाए जाने से पहले टियर I पूंजी की राशि पर आधारित होगी।

2.3 राशि :

बढ़ाई जाने वाली राशि बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तय की जाएगी।

2.4 दावों की वरिष्ठता :

एलटीडी का जमाकर्ताओं तथा अन्य ऋणियों के दावों के अधीन किया जाएगा लेकिन उनका स्थान शेयरधारकों के दावों से ऊपर होगा जिनमें अधिमानी शेयरधारक (टियर I तथा टियर II दोनों) शामिल होंगे। निम्न टियर II में शामिल लिखतों के निवेशकों में दावे एक दूसरे के प्रति पैरी पासू स्तर के होंगे।

2.5 विकल्प :

(क) एलटीडी 'पुट आप्शन' या 'स्टेप आप्शन' के साथ जारी नहीं किए जाएंगे।

(ख) 'कॉल आप्शन' की अनुमति होगी और उसका प्रयोग 5 वर्ष के बाद रिजर्व बैंक की अनुमति से किया जाएगा। कॉल आप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते हुए रिजर्व बैंक अन्य बातों के साथ कॉल आप्शन के प्रयोग के समय तथा कॉल आप्शन के प्रयोग के बाद बैंक की सीआरएआर स्थिति को ध्यान में रखेगा।

2.6 शोधन /चुकौती :

परिपक्व होने पर एलटीडी की प्रतिपूर्ति केवल भारतीय रिजर्व बैंक (शहरी बैंक विभाग, केंद्रीय कार्यालय) के पूर्वानुमोदन से अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा:

- (i) बैंक का सीआरएआर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से ऊपर है।
- (ii) इस प्रकार की चुकौती के प्रभाव से बैंक का सीआरएआर गिरकर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से नीचे या ज्यों का त्यों उसके नीचे ही न बना रहे।

2.7 ब्याज दर :

एलटीडी पर एक निर्धारित ब्याज दर अथवा बाजार नियंत्रित रूपया ब्याज की बेंचमार्क दर के संदर्भ में ब्याज की अस्थिर दर लगाई जाए।

2.8 डीआईसीजीसी कवर :

एलटीडी निष्केप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कवर की पात्र नहीं होगी।

2.9 क्रमिक बट्टा :

पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन के लिए इन जमाराशियों पर क्रमिक रूप से बट्टा लगाया जाएगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

परिपक्वता की शेष अवधि	बट्टे की दर
एक वर्ष से कम	100%
एक वर्ष से अधिक तथा दो वर्ष से कम	80%
दो वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष से कम	60%
तीन वर्ष से अधिक तथा चार वर्ष से कम	40%
चार वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष से कम	20%

2.10 तुलन पत्र में वर्गीकरण :

इन लिखतों को 'उधार' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा उन्हें तुलन पत्र में अलग से दर्शाया जाएगा।

3. आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षा:

एलटीडी जारी करके बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि की गणना आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं (सीआरआर एवं एसएलआर) के प्रयोजन के लिए निवल मांग मीयादी देयताओं की गणना के लिए की जाएगी।

4. सूचना देने से संबंधित अपेक्षाएं

ऐसी दीर्घकालिक जमारशियां (एलटीडी) जारी करने वाले बैंक अपनी रिपोर्ट प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई को प्रस्तुत करेंगे जिसमें जुटाई गई जमारशि का ब्यौरा दिया जाए जिसमें ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार एलटीडी जारी करने की शर्तें भी शामिल होंगी।

5. एलटीडी में निवेश /एलटीडी पर अग्रिमों की मंजूरी

शहरी सहकारी बैंकों को अन्य शहरी सहकारी बैंकों की एलटीडी में निवेश नहीं करना चाहिए और न ही अपने या अन्य बैंकों द्वारा जारी की गई एलटीडी की जमानत पर अग्रिम मंजूर करना चाहिए।